बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 101 / 2020 - 415

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, जमुई।

पटना 14, दिनांक– 13/05/2022

विषय – जमुई जिलान्तर्गत श्रवण–बकशीला पथांश के 23वें कि०मी० में धधुरिया नदी पर 3x14m आकार का उच्चस्तरीय RCC High Level Bridge निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.48 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/47172/2020/4959 दिनांक 20.10.2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 974 दिनांक 28.10.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/47172/2020/4959 दिनांक 20.10.2021 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर दो भागों में (A एवं B) सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें भाग–A में 1–6 शर्तें तथा भाग–B में 1–8 शर्तें अधिरोपित है। तद्आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 974 दिनांक 28.10.2021 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद में राशि जमा करने तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

2. आपके कार्यालय पत्रांक 145 (अनु0) दिनांक 24.01.2022, द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद में (क्रमशः रूपये 7,55,315.00+3,00,480.00) = रू० 10,55,795/– (रूपये दस लाख पचपन हजार सात सौ पनचानवें) मात्र कैम्पा लेखा में जमा कराते हुए कार्यादेश की मांग की गयी है।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 5-3/2011-FC (Vol-I), दिनांक 06.01.2022 द्वारा NPV दर को संशोधित किया गया है। संशोधित दर के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 0.48 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये NPV की राशि रूपये 9,57,780/– मात्र प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 4,59,734/– (रूपये चार लाख उनसठ हजार सात सौ चौतीस) मात्र होता है। आपके द्वारा NPV मद कुल रू० 3,00,480/– (रूपये तीन लाख चार सौ अस्सी) मात्र कैम्पा लेखा में जमा किया गया है, जिसका आकलन पूर्व निर्धारित दर रूपये 6,26,000/– मात्र प्रति हेक्टेयर की दर पर किया गया था।

फोन न०–08986153145

ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 5-3/2011-FC (Vol-I), दिनांक 06.01.2022 के आलोक में NPV मद में अन्तर की राशि (रूपये 4,59,734.00–3,00,480.00) = रूपये 1,59,254.00 मात्र होता है।

5. **उपर्युक्त NPV मद में अन्तर की राशि रू० 1,59,254/– (रूपये एक लाख उनसठ हजार दो सौ चौवन) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जाय।**

6. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग–A में सन्निहित 1–6 शर्तें तथा भाग–B में सन्निहित 1–8 शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति की कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय के स्तर से कार्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन नं०–06986153145

ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com